

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
रायपुर (छत्तीसगढ़)
// अधिसूचना //

रायपुर दिनांक 14 नवंबर, 2019

क्रमंक एफ 20-47/2013/11/(6) चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकाहेत में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग की समस्त अधिसूचना दिनांक 31.10.2019 द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम - 2015" में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

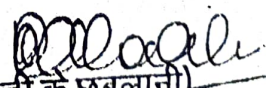
- 1 -कंडिका 2.13 में दिनांक 31.10.2019 को जारी किये गये संशोधन के द्वारा जोड़ी गई कंडिका फ्रीहोल्ड पर भूमि के पैरा-4 के पश्चात् निम्नानुसार परन्तुक जोड़ा जाता है :-

"परन्तु फ्री होल्ड किये जाने के पूर्व राजस्व विभाग से प्रक्रिया पूर्ण कर उस भूमि आबंटी के द्वारा धारित औद्योगिक प्रयोजन की भूमि पर छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा-59 के अनुसार भू-राजस्व का पुनर्निर्धारण कराया जावेगा, जो कि देय संधारण शुल्क के अतिरिक्त होगा। तदनुसार प्रावधान फ्री होल्ड हेतु जारी किये जाने वाले आदेश में अनिवार्य पालन हेतु अंकित किया जायेगा।"

दिनांक 31.10.2019 को जारी संशोधन अधिसूचना के अन्य समस्त संशोधन यथावत रहेंगे।

उपरोक्त संशोधन इस विषय में जारी संशोधन अधिसूचना के जारी होने की दिनांक अर्थात् दिनांक 31.10.2019 से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(कै.के.छबलानी)

विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

निरंतर.....2

1/2/1

पृष्ठ क्र. एफ 20-47/2013/11/(6)
प्रतिलेपि :-

रायपुर दिनांक 14 नवंबर, 2019

- 1 संयोजक, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, उद्योग भवन, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 - 2 संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय छ0ग0 नया रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 - 3 प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. उद्योग भवन, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 - 4 नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध करायें।
- समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
..... (छत्तीसगढ़)

1.P.
16 DEC 2019




विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग